27/8/25

वसीयत अपील 3(1)। इस वसीयत अपील को मान लिया गया पत्रावली को अवलोकन किया गया। उपरोक्त अपील में संक्षिप्त में यह कि धारा 14(4) के उप पत्र नामांतरण लिखित कार्यवाही में धारित होकर उपखण्ड अधिकारी करौली के निर्णय अपील संख्या 140/20 में जो आदेश पारित किया गया है अपील कर्ता का पक्ष चलने योग्य नहीं है। अतः अपील खारिज की जाती है। पत्रावली पूर्णतः अन्तिम होकर नामांतरण के साथ होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:29:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)